

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या  
12/121/2021

प्रवेश तिथि  
08-10-2021

निर्णय दिनांक  
10-03-2022

01- राजाराम पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

02- दीपचंद पुत्र दाताराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर।

-अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार  
बानसूर दिनांक 21.05.2018 अन्तर्गत  
धारा 91(3) भू0 राजस्व अधिनियम  
प्रकरण संख्या 630/2018

उपस्थित:-

01-श्री कमल सिंह रावत  
02-राजकीय अभिभाषक

-वकील अपीलाण्ट  
-वकील रेस्पोंडेन्ट

-:निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 21.05.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम धीरपुर तहसील बानसूर जिला अलवर की सम्वत 2074 में आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है0 में से 1.25 व 656 रकबा 3.04 है0 में से 0.75 है0 किस्म गैर मुमकिन खदर पर गेहूं/सरसों की फसल काशत करने/मकान बनाकर अवैध कब्जा करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमी को तीन माह का सिविल कारावास की सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों0 को जर्गे सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

**मान्यत फोटो प्रति** विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया कोई नोटिस अपीलांट को प्राप्त नहीं हुआ तथा विधिवत रूप से जब कोई नोटिस ही प्राप्त नहीं हुआ विधिवत रूप से तामील ही नहीं हुई तो यह प्राकृतिक न्याय एवं कानूनी प्रावधानों के सिद्धान्तों के विपरीत है। तहत अदालत के समक्ष अपीलांट अपना पक्ष नहीं रख पाये इस प्रकार निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है तथा तहत अदालत द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय पारित किया गया है, इसका कोई सबूत नहीं

रीडर  
नसिखत जिला  
(प्रथम) अलवर

था। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुये निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमी को नोटिस जारी कर नोटिस की तामील अतिक्रमी के चचेरे भाई कैलाश को तामील करायी है। अतः यह कहना गलत है, कि उसे तामील नहीं हुयी है। तहसीलदार बानसूर द्वारा प्रकरण में विधिवत निर्णय पारित किया गया है, अपीलार्थी द्वारा संवत् 2074 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया गया था। प्रकरण में तहत अदालत द्वारा नियमानुसार विधिवत कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है, अपील खारिज की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तहत अदालत द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमी को नोटिस जारी कर नोटिस की तामील अतिक्रमी के चचेरे भाई कैलाश को तामील करायी है। अतः यह कहना गलत है, कि उसे तामील नहीं हुयी है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मौंका रिपोर्ट दिनांक 28.2.2018 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 646 रकबा 3.53 है० व 656 रकबा 3.04 है० में अतिक्रमी अपीलांट ने गेहूं और सरसों की फसल कश्त करने/मकानात बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है, जो बरकरार है तथा पटवारी हल्का के बयान दिनांक 21.05.2018 के अनुसार अतिक्रमी अपीलांट को आराजी खसरा न० 646 रकबा 3.53 व 656 रकबा 3.04 से भौतिक रूप से संवत् 2073 में बेदखल किया गया था, फिर भी संवत् 2074 में पुनः अतिक्रमण किया गया है साथ ही किये गये अतिक्रमण को ट्रैक्टर से हल चलाकर फसल को नष्ट किया गया है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। तहसीलदार बानसूर का निर्णय दिनांक 21.05.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10-03-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ० सुनीता पंकज)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)  
अलवर (राजस्थान)

प्रमाणित फोटो प्रति

रीडर  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
(प्रथम) अलवर (राज०)